International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 09-02-2020; Accepted: 10-03-2020; Published: 11-04-2020
www.educationjournal.org
Volume 5; Issue 2; 2020; Page No. 16-18

स्वतंत्रता आन्दोलन में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी का योगदान

कल्पना कुमारी
शोधार्थी, इतिहास विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह के नेतृत्व में 'सियाराम दल' ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इस दल के कार्यक्रम में चार बातें मुख्य थी – धन संचय, शस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन। बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉ0 ज्ञानेन्द्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी तथा बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906–07 में रामकृष्ण सोसाईटी की स्थापना की। यह सोसाईटी बिहार में क्रांति को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनसे जुड़े क्रांतिकारी दल के सदस्य, अंग्रेजों को मार डालना ही अपना एक मकसद नहीं रखता बल्कि वह अंग्रेजों को यह बतला देना चाहता था कि अंग्रेजी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 20वीं शताब्दी के शुरूआत से ही क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाना एक अभूतपूर्व उपलब्धियाँ थी। इन उपलब्धियों से जुड़े क्रांतिकारियों में सबसे अधिक खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।

मूल शब्द: क्रांतिकारी, बिहार, सियाराम सिंह, प्रफुल्ल

प्रस्तावना

20वीं सदी की शुरूआत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण काल था। सदी के प्रारंभ में दुनिया में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी। रूस–जापानी युद्ध, 1905 की रूसी क्रांति, फारस, अफगानिस्तान, तुर्की, चीन तथा अन्य देशों में स्वशासन के लिए संघर्ष – जिसने भारत में चल रहे आजादी की जंग को गति प्रदान की। सन् 1905 ई0 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के नेताओं के हाथ में था, जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे तथा जिनका उद्देश्य राजनैतिक प्रशिक्षण, विधायिका का विस्तार तथा उनकी कुछ आपत्तियों के निपटारे तक ही सीमित था। बाद में कांग्रेस में एक अन्य दल का भी उदय हुआ जिसे गरम दल कहा गया। इस दल का उद्देश्य था भारत को अंग्रेजी सत्ता से मुक्त कराना तथा इसके नेता थे – लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल तथा अरबिन्द घोष। राष्ट्रवादियों का एक तीसरा दल भी था जिसे क्रांतिकारी कहा जाता था तथा जिसका उद्देश्य हिंसात्मक कार्यकलापों द्वारा भारत को आजाद कराना था। इस विचारधारा के प्रवर्तक मुख्यतः नौजवान छात्र थे, जिनका विश्वास था कि बिना त्याग तथा बलिदान के देश को आजाद नहीं किया जा सकता। ऐसे नौजवान अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए जान को हथेली पर लेकर चलते थे।[1]

बिहार में 19वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास हुआ था। 19वीं शताब्दी में ज्यादा बड़े पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। जन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी। इस क्रम में पहले वहाबी आंदोलन हुआ फिर अनेक जनजातीय आंदोलन भी आरंभ हुए। इन आंदोलनों ने 1857 के महासंग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। इन आंदोलनों का क्रम इस महासंग्राम के बाद भी जारी रहा। वहाबी आंदोलन राजनैतिक विरोध के प्रयास के रूप में 1865 तक बना रहा जबकि जनजातीय आंदोलन वर्तमान शताब्दी के आरंभ तक सक्रिय रहे। बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात् हुआ। इस आंदोलन के क्रम में पटना केन्द्र से वहाबियों को मिलने वाली सहायता और सहयोग की जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिली। तदोपरांत 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह के मुकदमें चलाये गये और अनेक नेताओं को कारावास की सजा दी गयी। बिहार से अहमदुल्लाह, अब्दुर रहीम आदि को आजीवन कारावास की सजा देकर कालापानी (अंडमान द्वीप) भेज दिया गया। उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। इस प्रकार बिहार में सक्रिय नेताओं द्वारा यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। वहाबी आंदोलन के परोक्ष परिणाम महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का पहला उदाहरण उन्होंने ही प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। विदेशी शासन के विरूद्ध इन्होंने जन–चेतना जगाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई।

सन् 1905 ई० में बंगाल विभाजन के पश्चात् स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र रूप विकसित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अब नरमपंथी नेताओं के स्थान पर गरमपंथी नेताओं का उत्कर्ष आरंभ हो चुका था। बंग–भंग विरोधी आंदोलन ने जैसे–जैसे जोर पकड़ा, बिहार में इसके प्रभाव पड़। यह चेतना बिहारियों के बीच भी थी कि बंगाल का विभाजन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए ही नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण में बंगाल को विभाजित करने के बदले में बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाना कहीं उपयुक्त था। बिहार के पृथक्करण की माँग पहले भी प्रस्तुत की जा रही थी। बंग–भंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में दो स्तर पर राजनैतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। प्रथम, इस विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रान्त के गठन की माँग ने जोर पकड़ा, द्वितीय, इसके फलस्वरूप बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हुआ।[2]

20वीं शताब्दी के शुरूआत से ही क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाना एक अभूतपूर्व उपलब्धियाँ थी। इन उपलब्धियों से जुड़े क्रांतिकारियों में सबसे अधिक खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। हमने इन दोनों क्रांतिकारियों के उपलब्धियाँ और महत्वपूर्ण कार्यों के साथ–साथ जीवन–वृत्ति आगे प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है–

खुदीराम बोस एक महान् क्रांतिकारी देशभक्त थे, जिन्होंने पहली

बार भारतीय राजनीति में बम का सूत्रपात किया। इसके पहले किसी क्रांतिकारी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बम का प्रयोग नहीं किया था। पहले के क्रांतिकारियों के क्रिया–कलाप पिस्तौल तक ही सीमित थे। खुदीराम का मकसद अंग्रेजों को सबक सिखाना था जो देश की आजादी के लिए लड़नेवाले क्रांतिकारियों को तरह–तरह की यातना दिया करते थे।

खुदीराम बोस का जन्म 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गाँव में हुआ था। उनकी शिक्षा तामलुक हैमिल्टन स्कूल तथा मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल में हुई। वे तीसरे क्लास तक ही पढ़ पाये जो आज का आठवाँ क्लास है। खुदीराम बोस विश्व के भिन्न–भिन्न भागों में क्रांतिकारी आंदोलन, मेजिनी और गैरीवाल्टी के जीवन चरित्र तथा गीता और आनंदमठ के दर्शन से काफी प्रभावित थे। साथ ही क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रफुल्ल का जन्म उत्तरी बंगाल के बोगरा गाँव (अब बंग्लादेश में स्थित है) में हुआ था। जब प्रफुल्ल दो वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया। उनकी माता ने अत्यंत कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन–पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल का परिचय स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ। प्रफुल्ल ने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन किया और वे उससे बहुत प्रभावित हुए। अनेक क्रांतिकारियों के विचारों का भी प्रफुल्ल ने अध्ययन किया। इससे उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की भावना बलवती हो गई।[3]

खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगान्तर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगान्तर दल के नेता बारीन्द्र कुमार घोष[4] थे तथा वारीन्द्र के सहयोगी हेमचन्द्र दास कानूनगो, खुदीराम के जिले के ही निवासी थे। बंगाल के क्रांतिकारियों ने 1906 में कानूनगो को पेरिस भेजा था जहाँ वे श्यामजी कृष्णवर्मा[5], एस. आर. राणा तथा मैडम कामा[6] के सहयोगी बने तथा एक रूसी क्रांतिकारी, निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखे।[7] उनके भारत वापस आने पर कलकत्ते के मानिकतोला गार्डन में बारीन्द्र कुमार घोष की देख–रेख में एक क्रांतिकारी केन्द्र खोला गया जहाँ कानूनगो उल्लासकर दत्त की मदद से बम बनाने का काम शुरू किए। अप्रैल 1908 में बारीन्द्र कुमार घोष ने प्रफुल्ल कुमार चाकी को मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डी. एच. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर भेजने का निर्णय लिया। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों की आँख की किरकिरी थे क्योंकि कलकत्ते के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने युगान्तर, संध्या, वन्दे मातरम् तथा नवशक्ति से जुड़े अनेक लोगों को राजद्रोही घोषित किया था।[8] कानूनगो की सलाह पर बारीन्द्र ने प्रफुल्ल चाकी के साथ खुदीराम को भी मुजफ्फरपुर भेजने का निर्णय लिया।

कलकत्ता पुलिस को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई तथा पुलिस आयुक्त ने मुजफ्फरपुर के पुलिस उपाधीक्षक को सूचित किया कि कलकत्ते से दो युवक किंग्सफोर्ड की हत्या करने पहुँच गये हैं। किंग्सफोर्ड को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ फिर भी उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया।[9] किंग्सफोर्ड एक हरे रंग की बग्गी में प्रतिदिन यूरोपियन क्लब जाया करते थे। पुलिस ने उन्हें घर से क्लब लाने तथा वापस घर पहुँचाने के लिए दो सिपाही तैनात किया।

30 अप्रैल, 1908 को खुदीराम तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंकने का निर्णय लिया। वे यूरोपियन क्लब के द्वार के निकट एक घने पेड़ की छाया में छिप गये।

किंग्सफोर्ड जिस बग्गी पर चढ़ते थे उसी रंग की एक बग्गी स्थानीय अंग्रेज बैरिस्टर, प्रिंगले केनेडी के पास भी थी, जो कांग्रेस के पक्के हिमायती थे। परंतु इसकी खबर खुदीराम तथा प्रफुल्ल चाकी को नहीं थी। ज्योंही क्लब से एक हरे रंग की बग्गी बाहर आयी खुदीराम ने उस पर बम फेंक दिया। परंतु वह बग्गी प्रिंगले केनेडी की थी जिसमें उनकी पत्नी तथा बेटी सवार थी। केनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गयी तथा उनकी पत्नी 28 घंटे के बाद 2 मई को अस्पताल में दम तोड़ दिया।

मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन ने बम चालक को पकड़ने के लिए शहर को चारो तरफ से घेर लिया। रातोंरात खुदीराम 25 मील पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुँच गये। वहाँ वे एक कुएँ के पास मुरही खा रहे थे तथा वहाँ पर कुछ लोग मुजफ्फरपुर वाली घटना की बात कर रहे थे। उसी में से एक आदमी ने कहा कि केनेडी की बेटी मर गयी तथा उनकी पत्नी की हालत गंभीर है। इतने में खुदीराम के मुँह से अचानक निकल गया "क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा?" इतने में दो पुलिस सिपाही फतह सिंह तथा शिव प्रसाद मिश्र जो वहीं मौजूद थे, को कुछ शक हुआ और उन्होंने खुदीराम को वास्तविक अपराधी समझकर पकड़ लिया। खुदीराम के पास से एक बड़ा खाली पिस्तौल, एक छोटा भरा हुआ पिस्तौल तथा 30 कारतूस बरामद हुए।

मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक तुरंत सशस्त्र पुलिस बल के साथ बैनी पहुँचे तथा खुदीराम को एक विशेष ट्रेन से मुजफ्फरपुर लाया गया। खुदीराम के दर्शन के लिये सारा शहर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा था। जिला प्रशारान खुदीराम को एक बग्गी में बैठाकर जेल ले गया। खुदीराम बहुत प्रसन्न थे तथा उनके मुँह से वंदे मातरम् का जय घोष निकल रहा था। उस समय मुजफ्फरपुर के जिलाधीश एच. सी. उडमैन भी मौजूद थे। खुदीराम ने उनसे बड़ी वीरता से कहा था, "मैंने स्वयं ही बम फेंक कर हत्या की है।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत खुदीराम पर मुकदमा चला जिसकी सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश कर्नडफ को नियुक्त किया गया। सरकार की ओर से मानुक तथा विनोद मजुमदार वकालत किए तथा खुदीराम की ओर से कालिदास बोस ने बहस किया। 9 जून से 13 जून, 1908 तक मुकदमा चला। खुदीराम को फाँसी की सजा सुनायी गयी। उस समय खुदीराम की उम्र 17 वर्ष की थी। इस सजा के विरूद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ब्रेट तथा रिम्स की खंडपीठ में अपील हुई जिसकी सुनवाई 8 जुलाई से 13 जुलाई तक हुई। खुदीराम को फाँसी की सजा बहाल रही।

खुदीराम ने जेल से कालीदास बोस से अपनी अन्त्येष्टि करने की प्रार्थना की जिसे जिलाधीश ने मंजूर कर लिया। 11 अगस्त, 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम को फाँसी दी गयी। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम फाँसी के तख्ते पर हँसते–हँसते जा खड़े हुए और देखते–देखते उसके प्राण–पखेरू उड़ गए।[10]

खुदीराम का मृत–शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए एक जुलुस के साथ ले जाया गया। लोगों ने वन्दे मातरम्, खुदीराम जिन्दाबाद तथा ब्रिटिश राज मुर्दाबाद का जयघोष किया। खुदीराम के सम्मान में विद्यार्थियों ने तीन दिनों तक अपने वर्ग का बहिष्कार किया।[11]

खुदीराम के सहयोगी, प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई को मोकामा रेलवे स्टेशन पर अपने को गोली मार ली जब पुलिस का एक दारोगा, नंदलाल बनर्जी ने जो समस्तीपुर से ही उनका पीछा कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की।

मुजफ्फरपुर बम–कांड से बिहार में एक राजनैतिक जागरण की लहर दौड़ पड़ी और खुदीराम बोस को पूरे देश में एक शहीद देशभक्त के रूप में जय–जयकार हुई।

यद्यपि बिहार के क्रांतिकारी बंगाली क्रांतिकारियों की तरह सक्रिय नहीं थे, फिर भी उन्होंने बंगालियों का अनुसरण करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि देश की आजादी बिना त्याग के प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए वे जीवनोत्सर्ग के लिये तैयार हो गए।

बंगाल विभाजन के समय अनेक लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए। अनेक विद्यार्थियों ने भी इस आंदोलन में बढ़–चढ़कर भाग

लिया। प्रफुल्ल ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वे उस समय रंगपुर जिला स्कूल में कक्षा नवम् के छात्र थे। प्रफुल्ल को आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी का संपर्क क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी से हुआ।

कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बहुत बदनाम था। इसलिए क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मार डालने का निर्णय लिया। यह कार्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भाँपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। दोनों क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसके पीछे–पीछे मुजफ्फरपुर पहुँच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 ई0 को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंक दिया, जब वह बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। लेकिन जिस बग्घी पर बम फेंका गया था उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि बग्घी पर दो यूरोपियन एडवोकेट प्रिंगले केनेडी की पत्नी तथा पुत्री सवार थी। वे दोनों इस हमले में मारी गईं।

दोनों क्रांतिकारियों ने समझ लिया कि वे किंग्सफोर्ड को मारने में सफल हो गए हैं। वे दोनों घटनास्थल से भाग निकलें। प्रफुल्ल चाकी ने समस्तीपुर पहुँच कर कपड़े बदले और टिकिट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ गए। दुर्भाग्य से उसी में पुलिस का सब–इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी बैठा था। उसने प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अगली स्टेशन को सूचना दे दी। स्टेशन पर रेलगाड़ी के रूकते ही प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ना चाहा, लेकिन वे बचने के लिए दौड़े। परन्तु जब प्रफुल्ल ने देखा कि वे चारों ओर से घिर गए हैं तो इन्होंने किसी विदेशी की गोली से मरने के स्थान पर स्वयं को गोली मार ली तथा शहीद हो गए। यह घटना 1 मई 1908 की है।

बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी की मौत के बाद पुलिस उपनिरीक्षक एन. एन. बनर्जी ने प्रफुल्ल चाकी का सिर काट कर उसे सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश किया। यह अंग्रेज शासन की जघन्यतम् घटनाओं में शामिल है। खुदीराम बोस को बाद में गिरफ्तार किया गया था व उन्हें फाँसी दे दी गई थी।

''प्रफुल्ल चंद्र चाकी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले।
वतन पर मरने वालों का यही बांकी निशा होगा।।''(12)

सन् 1906 ई० में मेदनीपुर की पुरानी जेल में सरकार की ओर से एक प्रदर्शनी लगायी गयी थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों के कल्याण के लिए जो कुछ कर रही थी, उसके बारे में इसमें प्रचारित किया जा रहा था। प्रदर्शनी में खुदीराम बोस ने पर्चा बाँटने का काम किया था। बाद में 'वंदे मातरम्' का पर्चा बाँटते हुए वे गिरफ्तार हुए और सिपाही की नाक पर जोर से घूसा मार कर भाग खड़े हुए। तब खुदीराम बोस जीवन के 17वें वसंत में थे। बंकिम चन्द्र के 'आनंदमठ' के वे पाठक थे। यह समय उनके दृढ़ संकल्प का तो था ही, साथ ही यही वह समय था जब उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने और जीवन की आहुति देने का संभवतः संकल्प लिया। यही कारण रहा है कि वे मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला बम विस्फोट कर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के महानायक बने।

खुदीराम बोस की शहादत और मुजफ्फरपुर का साथ कुछ ऐसा है कि एक को छोड़ दूसरे को नहीं समझा जा सकता है। छोटी–सी उमर (18 साल मात्र) में क्रांति का ऐसा जुनून कि हंसते–हंसते फाँसी के फंदे पर झूल गये।

निष्कर्ष

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चन्द्र चाकी का बम विस्फोट सबसे पहला था। आज भी प्रतिवर्ष बलिदान दिवस 11 अगस्त (इस दिन खुदीराम बोस को फाँसी दी गयी थी) को मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारा की उस कोठरी में लोग नमन करने पहुँचते हैं, जहाँ उन्होंने यातनाओं का लंबा सफर काटा था। श्रद्धांजलि से पूर्व फाँसी घर के समीप प्रार्थना सभा कर उनकी स्मृति को नमन किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के इस दोनों क्रांतिकारियों के महानायक खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चन्द्र चाकी को हमारा शत–शत प्रणाम!

संदर्भ–सूची

1. श्रीवास्तव, नागेन्द्र मोहन प्रसाद, आजादी की जंग–बिहार के मशहूर क्रांतिकारी, अगस्त, 2001, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, प्राक्कथन से उद्धृत वाक्य।
2. अहमद, इमत्याज, बिहार : एक परिचय, नेशनल पब्लिकेशन, पटना, 1994, पृ. 37–38।
3. श्रीवास्तव, एन. एम. पी., "स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम : सम ग्रेट इंडियन रिव्युलुशनरी, के. पी. जे. रिसर्च इंस्टीच्युट, पटना, पृ 51–60, सर्चलाईट, जनवरी 25, 1969।
4. स्ट्रगल और फ्रीडम, पृ. 1–14, सर्चलाईट, अक्टूबर 4, 1969, ज्योत्सना, अगस्त 1970, पृ. 40–44, बिहार इंफोरमेशन, मार्च, 15, 1972।
5. सर्चलाईट, सितम्बर 2, 1970, जनरल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, राँची, जनवरी 26, 1975, पृ. 95–103।
6. केर, जेम्स काम्पबेल, पॉलिटिकल ट्रबल इन इंडिया, कलकत्ता, 1973, पृ. 375।
7. हिन्दूपंच (बलिदान अंक) कलकत्ता, जनवरी 1930, पृ. 143, यह अंक ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसका पुनः प्रकाशन 1996 में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया।
8. केर, जेम्स कॉम्पबेल, पॉलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया, पृ. 125।
9. चाँद (फाँसी अंक), नवम्बर 1928, पृ 113, यह अंक ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। 1988 में राधाकृष्ण प्रकाशन ने इसे पुनः प्रकाशित किया।
10. श्रीवास्तव, एन. एम. पी., स्ट्रगल्स फौर फ्रीडम रू सम ग्रेट इंडियन रिव्युलुशनरी, पृ. 63।
11. उपरोक्त, "मिलिटेन्ट नेशनलिज्म इन बिहार'', मेनस्ट्रीम (दिल्ली), जुलाई 29, 1972, पृ. 35।
12. बिहार समाचार, 11 अगस्त 1971।